रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर, ...थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2022.
   प्र. इ. रि. स. ......402/22.................. दिनांक ....13/10/2022.................
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . .धारायें.........7
   (ब) अधिनियम ....भा. द. स. ....धारायें...........120 बी.
   (स) अधिनियम ....धारायें..
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ......208.........समय.....................5:00 pm
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–सोमबार /12.09.2022/ ....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–12.09.2022 समय.–09.35 ए.एम ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– कस्बा रूपबास।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –पूर्व , दूरी करीब 35 किमी..
   (ब) पता – ....बीट सख्या ....जरायमदेहीसं.........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना..............जिला.....................

6.परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम **श्री बीरेन्द्र सिंह**

(ब) पिता /पति का नाम श्री भीकम सिंह जाति ठाकुर (स) जन्म तिथि /वर्ष 43 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....

(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी............जारी होने की जगह..................................

(र) व्यवसाय...... ।

(ल) पता....गॉव मिल्सवा पुलिस थाना रूपबास जिला भरतपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1– श्री दीपेन मोहन शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 38 साल निवासी ग्रम दाहिनागॉव पुलिस थाना रूपबास जिला भरतपुर पटवारी पटवार हल्का मिल्सवा तहसील रूपबास जिला भरतपुर

2– श्री मुनेश पुत्र सीयाराम जाति ठाकुर उम्र–40 साल निवासी मिल्सवा पुलिस थाना रूपबास जिला भरतपुर (प्राईवेट व्यक्ति)

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....................................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   ....1,00,000/–रू0 रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)........
   ....1,00,000/–रू0 रिश्वत राशि ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....नहीं.......................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)..................

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर। विषय– रिश्वत लेते हुए रगें हाथों पकडवाने हेतु। महोदय जी, निवेदन है कि मैं बीरेन्द सिंह पुत्र भीकम सिंह जाति ठाकुर उम्र–44 साल निवासी मिल्सवा पुलिस थाना रूपबास जिला भरतपुर का रहने वाला हूँ। मेरे गॉव में मेरी माता के नाम से जमीन का मॉ की मृत्यु हो जाने से नामान्तरणकरण खोलने की एवज में पटवारी दीपेन शर्मा ने पचास हजार रूपये ले लिये है। अब मेरी नामान्तकरण गलत बताकर खारिज कर दिया है व मुझे पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का भय दिखाकर एफआईआर दर्ज नहीं कराने की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत की मॉग कर रहा है मै। पटवारी को अब रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। मेरी पटवारी से कोई लेनदेन बकाया नहीं है। और न ही कोई रंजिश नहीं है । मैं ऐसे भ्रष्टकर्मचारी को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। कार्यवाही कराने की कृपा करें । एसडी बीरेन्द सिंह प्रार्थी बीरेन्द सिंह पुत्र भीकम सिंह जाति ठाकुर उम्र–44 साल निवासी मिल्सवा मो. 9690193855 एसडी श्रवण कुमार पुलिस निरीक्षक 12. 09.2022 एसडी बलवीर,एसडी नरेश

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 12.09.22 को समय 09.35 ए.एम.पर परिवादी श्री बीरेन्द सिंह पुत्र श्री भीकम सिंह जाति ठाकुर उम्र–44 साल निवासी मिल्सवा पुलिस थाना रूपबास जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वंय के आधार कार्ड की छायाप्रति के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर को सम्बोधित करते हुए श्री महेश मीणा अति पुलिस अधीक्षक को पेश किया। श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक ने मन पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय में बुलाकर परिवादी के परिचय करा अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्देशित किया । उक्त लिखित रिपोर्ट पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मै मेरे मिलने वाले से लिखवाकर लाया हूँ। उक्त रिपोर्ट पर मेरे स्वंय के हस्ताक्षर हैं। मैं बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भीकम सिंह जाति ठाकुर उम्र –44 निवासी मिलसवा थाना रूपबास का रहनें वाला हूँ। मेरे गॉव में मेरी माता के नाम से जमीन का मॉ की मृत्यु हो जाने से नामान्तकरण खोलने की एवज में पटवारी दीपेन मोहन शर्मा ने पचास हजार रूपये ले लिये है। अब मेरा नामान्तकरण गलत बताकर खारिज कर दिया है व मुझे पुलिस में एफआई आर दर्ज कराने का भय दिखाकर एफआईआर दर्ज नहीं कराने की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत की मॉग कर रहा है। मैं पटवारी को अब रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। मेरी पटवारी से कोई लेनदेन बकाया नहीं है और नही कोई रंजिश है। मैं ऐसे भ्रट अधिकारी को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। कार्यवाही कराने की कृपा करें । उक्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। तत्पश्चात समय 09.45 ए.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में विभागीय सरकारी डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से श्री रीतराम सिंह हैडकानि. से निकलवाकर परिवादी बीरेन्द्र सिंह को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री गोकुलेश कानि. 454 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने व देखने का प्रयास करे, परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी बीरेन्द्र सिंह एवं गोकुलेश कानि. 454 को आरोपी के पास अपनी अपनी निजी मोटर साईकिलों से रवाना तहसील कार्यालय रूपबास किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 12.05 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष श्री गोकुलेश कानि. 454 ने जरिये फोन कार्यालय में बताया कि परिवादी सत्यापन के बाद वापस आ गया हैं जिससे सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया हैं। परिवादी ने बताया कि आरोपी दीपेन मोहन शर्मा पटवारी से मेरी वार्ता हो गई है। आरोपी दीपेन मोहन शर्मा पटवारी मुझे तहसील कार्यालय के बाहर मेला ग्राउण्ड में नीम के पेड के नीचे मिला था। उसने मेरे गलत नामान्तकरण के संबंध में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराने के एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की है व आज ही तीन बजे का समय दिया है। मैंने दीपेन मोहन शर्मा पटवारी पटवार हल्का मिल्सवा तहसील रूपबास भरतपुर से हुई वार्तालाप को इस वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। मैं आरोपी दीपेन मोहन शर्मा पटवारी के पास से रवाना होकर आपके पास आ गया व उक्त सारी बार्तालाप की परिवादी ने उक्त कानि. के फोन से वार्ता कर ताईद की । तत्पश्चात समय 12.20 पी एम.पर श्री गम्भीर सिंह कानि. को गोपनीय राजकार्य हेतु स्वतन्त्र गवाह पाबन्द कर लाने हेतु आयुक्त कर विभाग भरतपुर के नाम तहरीरी जारी कर कार्यालय आयुक्त कर विभाग भरतपुर, भरतपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय01.00 पी.एम.पर श्री गम्भीर सिंह कानि उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मय स्वतन्त्र गवाहान के वापस आया। मन पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए स्वतन्त्र गवाहान का परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जयलाल जाति मीणा

उम्र 25 साल निवासी कंचनपुरा पो0खेडली तह0 कठूमर जिला अलवर हाल कनिष्ठ सहायक एसजीएसटी भरतपुर व श्री बलवीर पुत्र श्री मोहन सिंह जाति जाट उम्र 37 वर्ष निवासी सरसैना तहसील वैर जिला भरतपुर हाल सहायक आयुक्त एसजीएसटी भरतपुर होना बताया। स्वतन्त्र गवाहान को कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुए कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 01.10 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान,सर्वश्री दिलीप कुमार कानि 610.,गम्भीर सिंह कानि.475 ,रितेश कुमार कानि 64., मय लेपटॉप प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स के मय प्राईवेट गाडी कार से व पीछे–पीछे दूसरी प्राईवेट कार से श्री रीतराम सिंह हैड कानि. नं. 45,मय श्री हरभान सिंह कानि.,श्री परसराम कानि0 203,राजेन्द्र कानि.,श्री सुशील कुमार कानि,श्री सुरेश कुमार कानि. वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु भरतपुर से रवाना होकर समय 01.45 पीएम पर बोकोली मोड के पास रूपवास पहुंचा जहॉ पुर्व से उप. परिवादी बीरेन्द्र सिंह व गोकुलेश कानि. 454 उप. मिले। श्री गोकुलेश कानि. से वाईस टेप रिकार्डर को लेकर चालू कर सुना गया तो रिश्वत मॉग होना पाया गया । फर्द वापसी पृथक से मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई।फर्द ट्रान्सक्रिप्ट सत्यापन पृथक से तैयार कर मुर्तिब की जावेगी। तत्पश्चात समय 02.15 पी.एम.पर उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान श्री नरेश कुमार कनिष्ठ सहायक एसजीएसटी भरतपुर व श्री बलवीर सहायक आयुक्त एसजीएसटी भरतपुर का पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री बीरेन्द्र सिंह व दोनो स्वतन्त्र गवाहान का आपस में परिचय करवाकर उक्त स्वतन्त्र गवाहान को कार्यवाही से अवगत करवाते हुए परिवादी श्री बीरेन्द्र सिंह द्वारा पेश की गई लिखित रिपोर्ट को पढवाया गया, दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाहने पर दोनो ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। परिवादी द्वारा पेश लिखित तहरीरी रिपोर्ट पर दोनो गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री नरेश कुमार कनिष्ठ सहायक एसजीएसटी भरतपुर व श्री बलवीर सहायक आयुक्त एसजीएसटी भरतपुर के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री बीरेन्द सिंह पुत्र श्री भीकम सिंह जाति ठाकुर उम्र–44 साल निवासी मिल्सवा पुलिस थाना रूपबास जिला भरतपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 200 नोट पांच पांच सौ रूपये के कुल 1,00,000/– रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9HL 805533
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8KK 761474
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का	3SR 173069
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0TG 466391
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6GQ 751434
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7CA 297262
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1HA 860081
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4EB 977423
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9AC 526041
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6DP 748621
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2GQ 134071

12.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4FU 041625
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1GN 185608
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का	3EB 244597
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0CH 098986
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6RG 791894
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7NS 662056
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6BQ 197932
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2TA 327674
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0TS 106124
21.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8BU 976685
22.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6BC 428918
23.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1LC 676515
24.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9LF 354575
25.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5NW 663202
26.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6TW 801173
27.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8DV 548876
28.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4SS 804604
29.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9DP 561240
30.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6SU 514354
31.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4KF 082270
32.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8PR 259996
33.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2BB 908423
34.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6QP 640965
35.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6KR 029132
36.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2GD 038283
37.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5EV 393821
38.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6CM 896552
39.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5EF 121586

40.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4PE 817060
41.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6VA 288708
42.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0DK 798442
43.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5MG 448521
44.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7QL 299230
45.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7DC 223518
46.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9AL 510456
47.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2SL 418364
48.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2PE 720861
49.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5GR 328901
50.	एक नोट पांच सौ रूपये का	3NP 316481
51.	एक नोट पांच सौ रूपये का	3RU 591468
52.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0WC 042137
53.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8HR 416054
54.	एक नोट पांच सौ रूपये का	3RW 472721
55.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6UM 924776
56.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6CR 407922
57.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2BK 111824
58.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2BK 111825
59.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0NC 268917
60.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2FN 032144
61.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5HD 944773
62.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7SB 844026
63.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1LF 277946
64.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7EM 860852
65.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7LC 495185
66.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8AD 004152
67.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1TK 278408

68.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0GW 953063
69.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9PH 109671
70.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9SU 060646
71.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7LM 353106
72.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5FQ 224040
73.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9BF 245155
74.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4SK 771336
75.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1LC 672198
76.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9MD 446758
77.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9LA 148332
78.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9UP 544799
79.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0AQ 178511
80.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9QC 936646
81.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5PU 308309
82.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8TE 501010
83.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5MT 249146
84.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9NW 743260
85.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1VM 253439
86.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7DT 534339
87.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7QK 240459
88.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5CW 632357
89.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9DF 928045
90.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4GD 506300
91.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2CH 891394
92.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1UD 132002
93.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0SL 600731
94.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4GD 645326
95.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8AR 040888

96.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6SB 588289
97.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7CF 856911
98.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9QW 872423
99.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7VR 315858
100.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6AU 587249
101.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4HQ 514621
102.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1BD 672049
103.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1UF 235007
104.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0SC 629802
105.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4CM 891222
106.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2HP 725547
107.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2TV 324042
108.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6EU 555132
109.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5AK 957956
110.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7SH 122968
111.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4DP 794362
112.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4DP 794363
113.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1SL 237423
114.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5BA 640389
115.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5HV 146313
116.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2HL 545012
117.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8FK 710838
118.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6MQ 719421
119.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6AW 820852
120.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4EH 888893
121.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1GC 077617
122.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0QR 981771
123.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6PT 582174

124.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9RK 318218
125.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5RT 325666
126.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4AW 825229
127.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6DD 563445
128.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8UR 977630
129.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5HN 707275
130.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6MB 842078
131.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2UA 995530
132.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8HT 248274
133.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2PB 835938
134.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6PW 889773
135.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6RQ 808484
136.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9CN 039359
137.	एक नोट पांच सौ रूपये का	3PV 803094
138.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2PC 678823
139.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6SD 974755
140.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8NS 341949
141.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4CA 478954
142.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7QH 589678
143.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1BH 829361
144.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6TQ 230843
145.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8RK 491943
146.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1NU 147850
147.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8AA 174182
148.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9BS 541450
149.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1SP 446441
150.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4HQ 514622
151.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4HQ 514623

152.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5AH 458761
153.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9HN 373874
154.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8GM 144177
155.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5LN 664501
156.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1GK 111037
157.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5AH 458759
158.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5AH 458760
159.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7GE 153956
160.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4AF 123872
161.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0CR 807298
162.	एक नोट पांच सौ रूपये का	3GE 912537
163.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2BH 932301
164.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1CR 961612
165.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0PP 143458
166.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9WL 148230
167.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1FS 975469
168.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9TB 153053
169.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7KT 757885
170.	एक नोट पांच सौ रूपये का	3EF 176226
171.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1BD 605718
172.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1BD 605719
173.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1BD 605720
174.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5DE 369177
175.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4HQ 514665
176.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5GW 579106
177.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9WD 148889
178.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6FB 126946
179.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0BA 330782

180.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6KR 603086
181.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9WL 395628
182.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9WL 395627
183.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5CG 259704
184.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4NQ 686531
185.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8BS 505190
186.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7KW 101544
187.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0BA 098167
188.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0FW 094460
189.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2HN 960848
190.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2HQ 830909
191.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0BA 371464
192.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7EV 117689
193.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5UR 644573
194.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0FF 779927
195.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4CV 201811
196.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1HK 065782
197.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8DD 468534
198.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5HV 062906
199.	एक नोट पांच सौ रूपये का	3DD 859909
200.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2QD 370402

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को स्वतंत्र गवाहान से बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर श्री गम्भीर सिंह कानि.475 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री गम्भीर सिंह कानि.475 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री बीरेन्द्र सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री नरेश कुमार कनिष्ठ सहायक से लिवायी जाकर परिवादी के पास पहने हुए परिधान एवं उसके मोवाईल के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 1,00,000/–रूपये के नोटों को श्री गम्भीर सिंह कानि.475 से परिवादी श्री बीरेन्द्र सिंह की पहनी हुई पेन्ट की सामने की अन्दर की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर उसे हिदायत दी कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा उससे हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ

जोडकर अभिवादन करे, आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर बंधे हुए सफेद गमछा को खोलकर या मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री गम्भीर सिंह कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री गम्भीर सिंह कानि.475 के पास में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। इसके बाद परिवादी श्री बीरेन्द्र सिंह को छोडकर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी श्री बीरेन्द्र सिंह को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पाउडर लगाने वाले श्री गम्भीर सिंह कानि.475 को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी व गिलास को देकर बस द्वारा एसीबी कार्यालय भरतपुर के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 03.30 पी. एम. पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री बीरेन्द्र सिंह को अपनी निजी मोटर साईकिल से रवाना कर उसके पीछे श्री गोकुलेश कानि.व श्री दिलीप कुमार कानि 610.को गोखलेश कानि. की निजी मोटर साईकिल से रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह,,रितेश कुमार कानि 64., मय लेपटॉप प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स के मय प्राईवेट गाडी कार से पीछे–पीछे दूसरी प्राईवेट कार से श्री रीतराम सिंह हैड कानि. नं. 45 मय,श्री हरभान सिंह कानि, श्री परसराम कानि0 203,श्री राजेन्द्र सिंह कानि., श्री सुशील कुमार कानि. ,श्री सुरेश कुमार कानि. वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 03.45 पीएम पर तहसील कार्यालय के बाहर मेला ग्रउण्ड रूपबास पहुँचा। जहां वाहनों को साइड में खडा कर परिवादी को वाईस रिकॉर्डर चालू करने की हिदायत देकर आरोपी के पास आरोपी व परिवादी के मुताबिक बायदे के मेला ग्राउण्ड में स्थित नीम के पेड की ओर रवाना कर पीछे पीछे जाब्ता रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व शेष ट्रेप पार्टी के सदस्य वाहनों के पास से रवाना होकर अपनी पहचान छुपाते हुए तहसील कार्यालय के बाहर मेला गाउण्ड में आस–पास अपनी उपस्थित छुपाते हुए खडे हो गये। परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार है। तत्पश्चात समय 04.00 पीएम पर परिवादी श्री बीरेन्द्र सिंह ने बिना कोई ईशारा किये मन पुलिस निरीक्षक के पास आकर बताया कि मैने पटवारी दीपेन मोहन शर्मा का तहसील कार्यालय ,मेला ग्राउण्ड व आसपास इंतजार किया। लेकिन कही भी नजर नहीं आया। तत्पश्चात समय 05.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक पटवारी के काफी इंतजार के बाद अब पटवारी दीपेन मोहन शर्मा के आने की संभावना नहीं होने से परिवादी से बाईस रिकार्डर लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री बीरेन्द्र सिंह को अपनी निजी मोटर साईकिल से कार्यालय के लिए रवाना कर उसके पीछे श्री गोकुलेश कानि. को अपनी

निजी मोटर साईकिल से रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह,रितेश कुमार कानि 64., श्री दिलीप कुमार कानि 610.मय लेपटॉप प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स के मय प्राईवेट गाडी कार से पीछे–पीछे दूसरी प्राईवेट कार से श्री रीतराम सिंह हैड कानि. नं. 45 मय,श्री हरभान सिंह कानि, श्री परसराम कानि0 203,श्री राजेन्द्र सिंह कानि., श्री सुशील कुमार कानि. ,श्री सुरेश कुमार कानि. को रवाना कर एसीबी कार्यालय भरतपुर के लिए रवाना हुआ । तत्पश्चात समय 06.25 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक उप. कार्यालय आया व परिवादी श्री बीरेन्द्र सिंह को सुपुर्दशुदा फिनॉफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि श्री गम्भीर सिंह कानि. से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की अन्दर की जेब से निकलवाकर गिनवाई तो 500–500 रूपये 200 नोट कुल 1,00,000/– रूपये हैं। स्वतंत्र गवाहान से उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से करवाने पर नम्बर हूबहू हैं। उक्त रिश्वती राशि श्री गम्भीर सिंह कानि. से कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात समय 06.40 पी.एम पर परिवादी बीरेन्द्र सिंह व आरोपी पटवारी दीपेन मोहन शर्मा के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को गवाहान व परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप को कम्प्यूटर में सेव किया गया एवं एक पेन ड्राइव तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। पेन ड्राइव की और दो पेन ड्राइव तैयार करवायी गई। मूल पेन ड्राइव एवं मुल्जिम पेन ड्राइव प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल पेन ड्राइव एवं मुल्जिम पेन ड्राइव को सफेद कपडे की थैली में अलग अलग रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलीयों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम पेन ड्राइवों को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री रीतराम सिंह हैड कानि. को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.30 पी.एम पर परिवादी श्री बीरेन्द्र सिंह को हिदायत दी गई की आरोपी रिश्वत की मांग जब भी करता है तो मन पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल या कार्यालय आकर सूचना दें। बाद हिदायत परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया। परिवादी से सूचना प्राप्त होने पर जैसी स्थिति होगी तद्नुसार ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात दिनांक 14.09.2022 समय 04.30 पी.एम. पर परिवादी श्री बीरेन्द्र सिंह उप. कार्यालय आया पुर्व से पाबन्दशुदा गवाहान को जरिये फोन तलब किया गया परिवादी ने बताया कि आरोपी दीपेन मोहन शर्मा ने मेरे से अभी तक रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए सम्पर्क नहीं किया है मगर आरोपी आइंदा मेरे से रिश्वती राशि ले सकता है । जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई की आरोपी रिश्वत की मांग जब भी करता है तो मन पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल या कार्यालय आकर सूचना दें। परिवादी को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया एवं स्वतंत्र गवाहान के साथ अन्य दिगर राजकार्य में मसगूल हुआ तथा प्रकरण की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई । आइंदा परिवादी से सूचना प्राप्त होने पर जैसी स्थिति होगी तद्नुसार ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात समय 08.30 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक स्वतंत्र गवाहान के साथ दिगर राजकार्य में गया हुआ उप. कार्यालय आया एवं स्वतंत्र गवाहान को बाद आवश्यक हिदायत गोपनीयता रूकसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 19.09.22 समय 01.00 पी.एम.पर परिवादी श्री बीरेन्द सिंह पुत्र श्री भीकम सिंह जाति ठाकुर उम्र–44 साल निवासी मिल्सवा पुलिस थाना रूपबास जिला भरतपुर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय भरतपुर आया और बीरेन्द्र सिंह ने एक लिखित प्रार्थना पत्र रिश्वत राशि 1,00,000/–रू. लौटाने बाबत लाकर पेश किया और बताया कि दीपेन मोहन शर्मा पटवारी पटवार हल्का मिल्सवा तहसील

रूपबास जिला भरतपुर को किन्ही कारणवश मेरे उपर शक हो गया है, अब वह मेरे से रिश्वत राशि नहीं लेगा। इस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया व परिवादी से मजिद दरियाफ्त की गई, जिससे प्रतीत होता है कि आरोपी दीपेन मोहन शर्मा पटवारी अब परिवादी से पैसे नहीं लेगा। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 01.20 पी.एम.पर कार्यवाही के दोनों स्वतंत्र गवाहान को जरिये टेलीफोन तलब करने पर स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जयलाल जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी कंचनपुरा पो0खेडली तह0 कठूमर जिला अलवर हाल कनिष्ठ सहायक एसजीएसटी भरतपुर व श्री बलवीर पुत्र श्री मोहन सिंह जाति जाट उम्र 37 वर्ष निवासी सरसैना तहसील वैर जिला भरतपुर हाल सहायक आयुक्त एसजीएसटी उपस्थित कार्यालय आये। तत्पश्चात समय 03:00 पी.एम पर दोनों गवाहान के समक्ष श्री अख्तर खॉन हैडकानि0 से मालखाना में रखी रिश्वत राशि 1,00,000/–रू. निकलवाई जाकर रिश्वत राशि से फिनोफ्थलीन पाउडर अच्छी तरह साफ करवाया जाकर परिवादी श्री बीरेन्द सिंह पुत्र श्री भीकम सिंह जाति ठाकुर उम्र–44 साल निवासी मिल्सवा पुलिस थाना रूपबास जिला भरतपुर को जरिये फर्द 1,00,000/–रूपये लौटाये जाकर रसीद प्राप्त की गई। फर्द व प्राप्ती रसीद बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी बीरेन्द्र सिंह व स्वतंत्र गवाहान को बाद कार्यवाही रूख्सत दी गई। तत्पश्चात कार्यालय तहसीलदार (भू. अभिलेख)तहसील रूपबास जिला भरतपुर से पत्राचार कर आरोपी का सेवा विवरण प्राप्त किया गया तो प्राप्तशुदा सेवा विवरण में आरोपी का पूरा नाम पता श्री दीपेन मोहन शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 38 साल निवासी ग्राम दाहिनागॉव तहसील रूपबास पुलिस थाना रूपबास जिला भरतपुर तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का मिल्सवा तहसील रूपबास जिला भरतपुर होना पाया गया ।

अतः अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी दीपेन मोहन शर्मा पटवारी पटवार हल्का मिल्सवा तहसील रूपबास जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री बीरेन्द सिंह पुत्र श्री भीकम सिंह जाति ठाकुर उम्र–44 साल निवासी मिल्सवा पुलिस थाना रूपबास जिला भरतपुर से परिवादी की माता के नाम से जमीन का मॉ की मृत्यु हो जाने से परिवादी के नाम नामान्तकरण खोलने की एवज में पटवारी दीपेन मोहन शर्मा द्वारा पुर्व में पचास हजार रूपये प्राप्त करना व पुनः नामान्तकरण गलत बताकर खारिज कर पुलिस में एफआई आर दर्ज कराने का भय दिखाकर एफआईआर दर्ज नहीं कराने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर प्राईवेट व्यक्ति मुनेश के साथ मिलकर 1,00,000 रूपये रिश्वत की मांग करना व उसी दिन तीन बजे उक्त रिश्वत राशि मंगवाना व शक होने पर परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त नहीं करने का आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म जैर दफा 7 भ्रष्टचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120 बी आईपीसी में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाने से आरोपी दीपेन मोहन शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 38 साल निवासी ग्राम दाहिनागॉव तहसील रूपबास पुलिस थाना रूपबास जिला भरतपुर तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का मिल्सवा तहसील रूपबास जिला भरतपुर व प्राईवेट व्यक्ति मुनेश पुत्र सीयाराम जाति ठाकुर उम्र–40 साल निवासी मिल्सवा पुलिस थाना रूपबास जिला भरतपुर के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित है।

(श्रवण कुमार)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
एस यू भरतपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री श्रवण कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एस.यू.), भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री दीपेन मोहन शर्मा, पटवारी पटवार हल्का मिल्सवा, तहसील रूपबास, जिला भरतपुर एवं 2. श्री मुनेश पुत्र सीयाराम निवासी मिल्सवा, पुलिस थाना रूपबास, जिला भरतपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 402/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

13.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3501-05 दिनांक 13.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, भरतपुर।
4. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर।

13.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।